

Subject:- Notifying Service under Right to Service Act.

क्या मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के अ०श० क्रमांक 213-SW(1)-2020 दिनांक 04.03.2020 तथा आपके कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 30.06.2020 की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे?

2. इस सम्बन्ध में आपको अनुरोधपूर्वक सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की स्कीम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निपटान करने की समय सीमा 45 दिन के स्थान पर 30 दिन कर दी गई है इसलिए सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 30.06.2020 में क्रम संख्या 303 पर विभाग की स्कीम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की समय सीमा में 45 दिन के स्थान पर 30 दिन करते हुए निम्न अनुसार संशोधन/अधिसूचित कर दिया जाये।

हिन्दी

क्र० सं०	विभाग का नाम	योजना का नाम	निर्धारित समय	नामित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण
1	अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा	मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना	30 दिन	सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी	सम्बन्धित अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बन्धित उपायुक्त

English

Sr. No.	Name of the department	Name of Scheme	Given Time Limit	Designated Officer	First Grievances Authority	Second Grievance Redressal Authority
1	Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, Haryana	Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana	30 days	District Welfare officer of the Concerned District	Additional Deputy Commissioner of the Concerned District	Deputy Commissioner of the Concerned District

-Sd-

उप अधीक्षक (स.क.)

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
(प्रशासकीय सुधार विभाग में)।

अशा: क्रमांक: 015-स.क.(1)-2022

दिनांक चण्डीगढ़ : 20जनवरी, 2022

पृष्ठाकन क्रमांक: 015-स.क.(1)-2022

दिनांक चण्डीगढ़ : 20जनवरी, 2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. आयुक्त, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग, चण्डीगढ़।
2. महानिदेशक, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा, बेज न० 53-54, कल्याण भवन, सैक्टर-2, पंचकूला।
3. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
4. सभी अतिरिक्त उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
5. सयुक्त निदेशक (प्रशासन), अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा, बेज न० 53-54, कल्याण भवन, सैक्टर-2, पंचकूला।
6. उप निदेशक (स्कीम), अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा, बेज न० 53-54, कल्याण भवन, सैक्टर-2, पंचकूला।
7. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
8. सभी सम्बन्धित शाखाएं, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, बेज न० 53-54, कल्याण भवन, सैक्टर-2, पंचकूला।

मि. राजीव...

उप अधीक्षक (स.क.)

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

1 T am